फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 276/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/300) **श्री नन्दलाल तेली व अन्य बनाम श्री गेहरीलाल तेली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.07.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री नरेश जणवा - वकील अपीलार्थी 2. श्री अशोक साहू - वकील प्रत्यर्थी-1 से 6 3. राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-7 **अनवान** **1. श्री नन्दलाल पिता श्री सुखा तेली, निवासी नन्नाणा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।** **2. श्री भेरूलाल पिता श्री सुखा तेली, निवासी नन्नाणा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।** **3. श्री कंवरलाल पिता श्री सुखा तेली, निवासी नन्नाणा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।** **4. श्रीमती चन्द्रीबाई पिता श्री सुखा पित्न श्री गौतम तेली, निवासी फलवा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।** **5. श्रीमती कारीबाई पिता श्री सुखा पत्नि श्री देवीलाल तेली, निवासी मानपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।** **6. श्रीमती शांतीबाई पिता श्री सुखा पत्नि श्री सत्यनारायण तेली, निवासी सावा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।** **अपीलार्थी** **बनाम** **1. श्री गेहरीलाल पिता श्री मोडा तेली, निवासी लसडावन, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।** **2. श्री पन्नालाल पिता श्री मोडा तेली, निवासी लसडावन, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।** **3. श्री नानालाल पिता श्री मोडा तेली, निवासी लसडावन, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।** **4. श्री चांदमल पिता श्री हिरालाल तेली, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।** **5. श्रीमती सोहनीबाई बेवा श्री हिरालाल तेली, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।** **6. श्रीमती भगवती पिता श्री हिरालाल पत्नि कालु तेली, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।** **7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, बप्रकरण संख्या 09/2016 निर्णय दिनांक 19.10.2020 (अनवान श्री गेहरीलाल बनाम श्री नन्दलाल व अन्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 29.07.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, बप्रकरण संख्या 09/2016 निर्णय दिनांक 19.10.2020 (अनवान श्री गेहरीलाल बनाम श्री नन्दलाल व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 276/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/300) **श्री नन्दलाल तेली व अन्य बनाम श्री गेहरीलाल तेली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 से 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा तहसीलदार, भदेसर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 556 निर्णय दिनांक 31.05.1986 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के पेश की और निवेदन किया कि वह एवं अन्य पक्षकार एक ही मूल पुरूष श्री नारायण तेली के वारिसान है। नारायण तेली के दो पुत्र मोड़ा और सुखा एवं पत्नि श्रीमती खुमाणीबाई थी। वाके मौजा नन्नाणा के आराजी संख्या 378, 379 किता 2 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है, तो आताचा नं. 386 से सिंचित है। श्रीमती खुमाणी बाई, श्री गेहरीलाल, पन्नालाल, नानालाल की दादी मां, चांदमल, भगवतीबाई की पडदादी व श्रीमती सोहनीबाई की सास है। इसी प्रकार अन्य पक्षकार नन्दलाल, भेरूलाल, कंवरलाल, चन्द्री, कारीबाई, शांतिबाई की दादी है। खुमाणी की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण संख्या 556 दिनांक 31.05.1986 केवल एक पुत्र श्री सुखा के नाम तस्दीक किया गया और दुसरे पुत्र श्री मोड़ा को वंचित कर दिया गया, जिसकी जानकारी मोड़ा व उसके वारिसान को कभी नहीं हुई। सुखा की दिनांक 07.06.2016 को हुई तब इसकी जानकारी मोड़ा के वारिसान को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई। अतः उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर मोड़ा के वारिसान के नाम भी नामान्तरकरण की कार्यवाही कराई जावें।
- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा उक्त अपील को स्वीकार करते अपने निर्णय दिनांक 19.10.2020 से नामान्तरकरण संख्या 556 दिनांक 31.05.1986 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, भदेसर को आदेशित किया कि खुमाणी की विरासत में मोड़ा भी खुमाणी का पुत्र होने सें एवं अपीलार्थी मोड़ा के वारिस होने से अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में जोड़ा जावें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के उक्त निर्णय दिनांक 19.10.2019 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाहर अपील पेश की। अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का पेश किया गया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 24.07.2024 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सूनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस दिनांक 29.07.2024 को एवं अधिवक्ता प्रत्यर्थी- 1 से 6 द्वारा लिखित बहस दिनांक 24.07.2024 प्रस्तुत की गई।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 276/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/300) **श्री नन्दलाल तेली व अन्य बनाम श्री गेहरीलाल तेली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित एवं मौखिक बहस में कथन प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत अपील मयाद बाधित होने से अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 10 जाप्ता दिवानी का पेश किया कर निवेदन किया था कि प्रकरण से संबंधित मूल विचाराधीन है इसलिए इस कार्यवाही को रोक दिया जावें, जिस पर उक्त नामान्तरकरण कार्यवाही को मूल वाद के निस्तारण तक रोक दी गई। प्रकरण से संबंधित वाद को गलत तरिके से अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया, जिसकी जानकारी अपीलार्थी का नहीं थी। उक्त वाद की कार्यवाही में आगामी पेशी दिनांक 26.11.2020 को थी परन्तु उक्त वाद प्रकरण को दिनांक 1.10.2020 को रख कर अदम हाजरी में खारिज कर दिया। उक्त वाद के निस्तारण उपरान्त उक्त नामान्तरकरण अपील की कार्यवाही आरम्भ करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया, जो काबिल निरस्त के है क्योंकि प्रस्तुत अपील मयाद बाधित थी, प्रत्यर्थीगण को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी आरम्भ से ही थी। विधि के अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है, जिसमें हक व अधिकार तय नहीं किये जा सकते है, इस हेतु वाद की कार्यवाही की जानी होती है, जो प्रत्यर्थीगण द्वारा नहीं की गई। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को ससमय नहीं हो सकी, जिससे यह अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया। **प्रत्यर्थी-1 से 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता** द्वारा मौखिक एवं लिखित बहस में अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया। वह एवं अन्य पक्षकार एक ही मूल पुरूष श्री नारायण तेली के वारिसान है। नारायण तेली के दो पुत्र मोड़ा और सुखा एवं पत्नि श्रीमती खुमाणीबाई थी। वाके मौजा नन्नाणा के आराजी संख्या 378, 379 किता 2 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है, तो आताचा नं. 386 से सिंचित है। श्रीमती खुमाणी बाई, श्री गेहरीलाल, पन्नालाल, नानालाल की दादी मां, चांदमल, भगवतीबाई की पडदादी व श्रीमती सोहनीबाई की सास है। इसी प्रकार अन्य पक्षकार नन्दलाल, भेरूलाल, कंवरलाल, चन्द्री, कारीबाई, शांतिबाई की दादी है। खुमाणी की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण संख्या 556 दिनांक 31.05.1986 केवल एक पुत्र श्री सुखा के नाम तस्दीक किया गया और दुसरे पुत्र श्री मोड़ा को वंचित कर दिया गया, जिसकी जानकारी मोड़ा व उसके वारिसान को कभी नहीं हुई। सुखा की दिनांक 07.06.2016 को हुई तब इसकी जानकारी मोड़ा के वारिसान को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई। अतः उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर मोड़ा के वारिसान के नाम भी नामान्तरकरण की कार्यवाही कराई जाने बाबत अधिनस्थ न्यायालय समक्ष चाराजोही की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय से मयाद के बिन्दु एवं प्रार्थना पत्र धारा-10 जा.दी. पर अपना विनिश्चय करते हुए अपील स्वीकार की गई, जो पूर्णतया विधि सम्मत है। अपीलार्थी द्वारा जिस वाद प्रकरण को अदम हाजरी में खारिज करने का हवाला दिया जा रहा है, यह अपील उस निर्णय के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 276/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/300) **श्री नन्दलाल तेली व अन्य बनाम श्री गेहरीलाल तेली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विरूद्ध न होकर नामान्तरकरण-अपील से संबंधित है। उक्त वाद प्रकरण में पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अतिरिक्त जिस वाद का हवाला दिया जा रहा है, उस वाद की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत करने के उपरान्त पेश की गई जो अपीलार्थी की गलत मंशा को दर्शाता है। यह तथ्य न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जो यह दर्शाता है कि वह न्यायालय समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। उक्त प्रकरण विरासत के नामान्तरकरण से संबंधित है, जिसमें सभी पुत्रों एवं उनके वारिसान का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज किया जाना प्रावधित है। उक्त प्रावधानों के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत पारित किया है, जिससे अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरएलडबल्यु 2008(2) आरजे 825 प्रस्तुत किया। **राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया।** **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान परिशीलन एवं अध्ययन किया गया।** यहा सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु पर विवेचन किया जाना उचित होगा। अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील मयाद बाहर पेश की। मयाद उपशमन हेतु अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रमुख कारण अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को ससमय नहीं हो सकी। प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों, अपील पर मनन करने एवं शपथ पत्र के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार की जाकर प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है। इसके अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन के स्पष्ट है कि वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 से 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा तहसीलदार, भदेसर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 556 निर्णय दिनांक 31.05.1986 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के पेश की और निवेदन किया कि वह एवं अन्य पक्षकार एक ही मूल पुरूष श्री नारायण तेली के वारिसान है। नारायण तेली के दो पुत्र मोड़ा और सुखा एवं पत्नि श्रीमती खुमाणीबाई थी। वाके मौजा नन्नाणा के आराजी संख्या 378, 379 किता 2 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है, तो आताचा नं. 386 से सिंचित है। श्रीमती खुमाणी बाई, श्री गेहरीलाल, पन्नालाल, नानालाल की दादी मां,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 276/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/300) **श्री नन्दलाल तेली व अन्य बनाम श्री गेहरीलाल तेली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

चांदमल, भगवतीबाई की पडदादी व श्रीमती सोहनीबाई की सास है। इसी प्रकार अन्य पक्षकार नन्दलाल, भेरूलाल, कंवरलाल, चन्द्री, कारीबाई, शांतिबाई की दादी है। खुमाणी की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण संख्या 556 दिनांक 31.05.1986 केवल एक पुत्र श्री सुखा के नाम तस्दीक किया गया और दुसरे पुत्र श्री मोड़ा को वंचित कर दिया गया, जिसकी जानकारी मोड़ा व उसके वारिसान को कभी नहीं हुई। सुखा की दिनांक 07.06.2016 को हुई तब इसकी जानकारी मोड़ा के वारिसान को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई। अतः उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर मोड़ा के वारिसान के नाम भी नामान्तरकरण की कार्यवाही कराई जावें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा उक्त अपील को स्वीकार करते अपने निर्णय दिनांक 19.10.2020 से नामान्तरकरण संख्या 556 दिनांक 31.05.1986 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, भदेसर को आदेशित किया कि खुमाणी की विरासत में मोड़ा भी खुमाणी का पुत्र होने सें एवं अपीलार्थी मोड़ा के वारिस होने से अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में जोड़ा जावें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। उक्त निर्णय से व्यथीत होकर यह अपील पेश की गई।

प्रकरण में अधिवक्ता अपीलार्थी का प्रमुख उज्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मयाद के बिन्दु पर कोई विनिश्चय किये बिना निर्णय जाना रहा है। इस संबंध में अभिलेखों के परिक्षण से यह तथ्य प्रकट होते है कि वक्त नामान्तरकरण संख्या 556 पारित किये जाने समय तहसीलदार द्वारा श्रीमती खुमाणी के विधिक वारिसान की जांच की गई हो और जांच उपरान्त उन्हें सुना गया हो, सुनवाई का अवसर दिया गया हो, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावलियों न तो उपलब्ध है, न ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में यह तो स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 556 की जानकारी केवल श्री सुखा और उसके वारिसान को थी, अन्य वारिसान की इसकी जानकारी होना तथ्यों से परिलक्षित नहीं होता है। ऐसा निर्णय प्राकृतिक न्याय की सिद्वान्त के विपरित होने एवं सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान को नजरअदांज कर पारित किये जाने से त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण है। ऐसे नामान्तरकरण पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबुत होता है तो उसे केवल मयाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये, जिससें यह प्रावधित किया गया है कि-

> Limitation Act, 1963, S.5 – Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case – Legality of – Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s.5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 276/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/300) **श्री नन्दलाल तेली व अन्य बनाम श्री गेहरीलाल तेली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चुंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया आलौच्य नामान्तरकरण आदेश से स्वर्गीय श्रीमती खुमाणी के विधिक वारिसान पुत्र श्री मोड़ा व उसके वारिसान के हित प्रभावित होते है। उनको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में उसके हितों पर कुठारघात होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तानुसार मयाद के बिन्दु पर उदारतापुर्ण होकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया। परिसीमा नियमों का यह अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। वे यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मागें। नैसर्गिक न्याय का भी यह मूलभूत सिद्धांत है कि न्यायालय को प्रकरण को तकनीकी आधार पर खारिज न कर गुणावगुण पर निस्तारण करना चाहिए। प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने से पक्षकारान के मध्य मूल विवाद का समुचित एवं विधि सम्मत निस्तारण हो सकेगा, जिससे पक्षकारान के मध्य अनावश्यक वाद बाहुल्यता एवं वाद-विवाद को रोकने में भी मदद मिलेगी। **इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट अंकन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मयाद के बिन्दु पर अपना विनिश्चय पारित किया जो उनके विवेकाधिकार का विषय है, जिस पर इस स्तर पर कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-5 मयाद अधिनियम पर प्रस्तुत उज्र उपरोक्त विधिक स्थिति में परिपेक्ष्य में खारिज किया जाता है।** प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिक्षण उपरान्त अपने निर्णय में यह अंकन किया गया कि मूल पुरूष श्री नारायण की पत्नि श्रीमती खुमाणी के दो पुत्र श्री मोड़ा व सुखा है और अपील के पक्षकार उनके विधिक वारिसान है। आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 556 केवल श्री सुखा के नाम स्वीकृत किया गया। प्रावधानोंनुसार विरासत का नामान्तरकरण सभी विधिक वारिसान के नाम दर्ज किया जाना अपेक्षित है, प्रथमदृष्टया प्रकरण में श्रीमती खुमाणी के सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान यथा दोनों पुत्रों अथवा उसके वारिसान (वर्तमान प्रकरण के पक्षकारान) के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना नहीं पाया गया। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा उक्त अपील को स्वीकार करते अपने निर्णय दिनांक 19.10.2020 से नामान्तरकरण संख्या 556 दिनांक 31.05.1986 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, भदेसर को आदेशित किया कि खुमाणी की विरासत में मोड़ा भी खुमाणी का पुत्र होने सें एवं अपीलार्थी मोड़ा के वारिस होने से अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में जोड़ा जावें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। उक्त निर्णय में यह न्यायालय कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाता है। जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यह मान भी लिया जाये की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु अपीलीय न्यायालय समक्ष उसे पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये फिर भी अपीलार्थी आलौच्य आदेश में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है।	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 276/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/300) **श्री नन्दलाल तेली व अन्य बनाम श्री गेहरीलाल तेली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यहा उल्लेख किया जाना उचित है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील दिनांक 01.08.2016 को प्रस्तुत की गई। उक्त अपील प्रस्तुतीकरण उपरान्त अपीलार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भदेसर समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 काश्तकारी अधिनियम, 1955 को पेश किया है, जो यह दर्शाता है कि उक्त वाद अपील पेश करने का उपरान्त पेश किया गया। एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब अपीलार्थीगण के नाम उक्त आराजीयात आक्षेपित नामान्तरकरण के जरिये राजस्व रेकार्ड में दर्ज थे, जो वाद किस अनुतोष हेतु पेश किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा यह तथ्य छिपाया गया कि उक्त वाद अपील पेश करने उपरान्त पेश किया जो यह दर्शाता है कि अपीलार्थी न्यायालय समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। **हिन्दु उत्तराधिकार कानून एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-40 के तहत पिता की सम्पत्ति में निर्वसीयती पिता की सम्पत्ति पर पुत्र एवं पुत्रियों का समान अधिकार होता है, इस विधिक स्थिति को हम स्वीकार करते है। यह भी प्रावधित है कि संतान का अपनी पिता की सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार व हक निहित होता है।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिक्षण कर अपना अभिवचन अभिलिखित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय एक तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। प्रत्यर्थी-1 से 6 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण से सुसंगत होने से प्रकरण में चस्पा होते है एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस में अंकित न्यायिक दृष्टांत सुसंगत नहीं होने से इस प्रकरण में लागु नहीं होते है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट अस्वीकार** की जाती है। **अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.10.2020 यथावत रखा जाता है।** तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	